ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

डीजी-परिपत्र संख्या- 10 /2019

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलकमार्ग, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊः फरवरी 08,2019

विषयः अज्ञात शवों (Unclaimed Deadbody) के निस्तारण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि लावारिश शवों के शिनाख्त/निस्तारण किये जाने में पुलिसकर्मियो को आये दिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ऐसे तथ्य भी प्रकाश में आते है कि अपराधिक घटना/दुर्घटना के पश्चात मृतक का शव अमर्यादित ढंग से ले जाकर उसका निस्तारण कर दिया जाता है। इन परिस्थितियों में मा0 न्यायालय / मानवाधिकार आयोग एवं मीडिया के समक्ष बिन्दु उठाये जाते रहे है जिससे पुलिस विभाग की छवि धूमिल होती है।

ध्यातव्य हो कि अज्ञात शवों के निस्तारण के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मा0 उ0प्र0 मानवाधिकार आयोग, मा0 उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर निर्देश दिये गये हैं एवं मुख्यालय स्तर से पार्श्वांकित परिपत्र / निर्देश भी अनुपालनार्थ प्रेषित किये गये हैं, परन्तु लावारिस शवों का सम्मानपूर्वक एवं गरिमापूर्ण ढंग से निस्तारण न कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है, जो मानवता के सिद्धान्तों की दृष्टि से भी अति निन्दनीय है। लावारिश शवों के मर्यादित ढंग से निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दु आपके मार्गदर्शन हेतु अनुपालनार्थ प्रेषित किये जा रहे हैं।

डीजी परिपत्र संख्याः-01/2000 दिनांक 10.01.2000
डीजी परिपत्र संख्याः-24/2005 दिनांक 26.05.2005
डीजी परिपत्र संख्याः-62/2007 दिनांक 11.08.2007
डीजी परिपत्र संख्याः-40/2012 दिनांक 04.09.2012
डीजी परिपत्र संख्याः-44/2012 दिनांक 26.09.2012
डीजी परिपत्र संख्याः-11/2014 दिनांक 15.02.2014
डीजी परिपत्र संख्याः-25/2018 दिनांक 23.05.2018

- जब भी अज्ञात शव पुलिस द्वारा प्राप्त किया जाये जिस पर न तो कोई दावा करता हो और न ही जिसे पहचाना जा सके, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा उसका पता लगाने का अधिक से अधिक व्यापक प्रचार-प्रसार करें तथा सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी/शिनाख्त का प्रयास किया जाए। जिला अपराध अभिलेख ब्यूरो(DCRB) एवं एस0सी0आर0बी(SCRB) को भी तत्काल सूचित किया जाए एवं त्रिनेत्र एप के माध्यम से भी पहचान का प्रयास किया जाए।
- लावारिश शवों को पोस्टमार्टम अथवा अंतिम संस्कार के लिए परिवहन हेतु उनका पूर्ण सम्मान एवं मर्यादा के साथ बन्द वाहन/एम्बुलेंस में ले जाने की व्यवस्था की जाये।
- लावारिश शवों के निस्तारण में आने वाली समस्याओं के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक अपने जनपदों में जो स्वंय सेवी संस्थाएं इस कार्य में रूचि रखती हो उनकी एक बैठक कर लें एवं उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुये शव को मर्यादित ढ़ग से निस्तारित किये जाने हेतु उनसे शवों के परिवहन एवं मर्घट पर अन्तिम संस्कार में सहयोग प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
- शासनादेश संख्या1179/6-पु0-2012-1500(11)/98टीसी-11 दिनांक 01.10.2012 के क्रम में निर्देश निर्गत कर प्रत्येक शवों के निस्तारण हेतु 2700 रूपये का प्राविधान किया गया

Scanned by CamScanner

है जिसमें कफन के लिए 300, शव जलाने हेतु लकड़ी अथवा दफनाये जाने, खुदाई व पटाई पर निर्धारित धनराशि 2000/- शव को शव स्थल से चीर घर ले जाने व मर्घट/कब्रिस्तान ले जाने हेतु किराये की धनराशि 400/- निर्धारित की गयी है, के क्रम में पुलिस मुख्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपदों को 37,82,785/रूपये का दिनांक 19.07.2018 को अनुदान आवंटित किया गया है, उसका उपयोग शव के निस्तारण में किया जाए।

- कार्यालयध्यक्ष/पुलिस अधीक्षक अपने-अपने जनपदों से प्राप्त बजट में से आवश्यकतानुसार आवंटित धन को अग्रिम के रूप में अपने विभागाध्यक्ष अपर पुलिस महानिदेशक जोन या पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र, से अनुमति प्राप्त करके, आहरित करा लें तथा उसे थानों में वितरित करा दें तथा थानों से शवों के निस्तारण पर हुए व्यय संबंधी बिल प्राप्त करके उसका एक समय सीमा के अंतर्गत समायोजन करा लें।
- उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा शव के निस्तारण हेतु किये गये अनुदान आवंटन में कमी होती है तो इस सम्बन्ध में उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद से पत्राचार कर अनुदान आवंटन हेतु अनुरोध किया जाए।
- प्रत्येक माह पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, एवं क्षेत्राधिकारी के स्तर पर किये जाने वाले थानों के निरीक्षण, ओ0आर0 एवं अपराध गोष्ठी में इस बजट की समीक्षा अवश्य करें तथा थानों में गोष्ठी करके समस्त पुलिसकर्मियों को इस संबंध में भलीभांति ब्रीफ करें कि वे अज्ञात शवों के निस्तारण के संबंध में 2700 रू0 व्यय भार अनुमन्य है उनका निस्तारण मानवाधिकार आयोग के निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित करें।

अतः अपेक्षा करता हूँ कि उपरोक्त बिन्दुओं को आप स्वयं गम्भीरता से अध्ययन कर एक गोष्ठी के माध्यम से जनपद मे नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में पूर्ण रूप से अवगत करा दें तथा इस सम्बन्ध में सतर्क कर दे कि वह अपने दायित्वों के निर्वहन में किसी प्रकार की लापरवाही/उदासीनता अथवा शिथिलता न बरतें।

उपरोक्त निदेशों का कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

8.2.19

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून/व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner